

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

पत्रांक— १७२४ /सोनभद्र/ 33, दिनांक, रावर्ट्सगंज, जनवरी २५, 2021

सेवा में,

आधिकारी अधिकारी,  
विद्युत प्रेषण खण्ड द्वितीय,  
वाराणसी, 220के0वी० सब स्टेशन  
तलवल गाजीपुर 233001

विषय— उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० वाराणसी द्वारा 400 के०वी० अनपरा—वाराणसी डी०सी० ट्रांसमीशन लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकट वन प्रभाग की 98.28हे०, ओबरा 113. 048हे०, सोनभद्र—15.79हे०, मीरजापुर 37.51 हे० एवं कैमून वन्य जीव वन प्रभाग मीरजापुर की 54. 652हे०) प्रभावित कुल 319.28हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—1698/11—सी—एफ०पी०/यू०पी०/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14.01. 2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर का पृष्ठांकन पत्र संख्या—2966/मी०/33 दिनांक 15.01.2021।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—1698/11—सी—एफ०पी०/यू०पी०/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) जो मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सम्बोधित एवं आप सहित अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य को पृष्ठांकित है, के द्वारा सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत विषयगत प्रस्ताव में निम्नलिखित आपत्तिया/कमियां अंकित कर वापस की गयी है।

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक— 343/11—सी, दिनांक 14. 08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक—1698/11—सी—एफ०पी०/यू०पी०/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14. 01.2021 द्वारा लागई गयी आपत्ति का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव 5 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

संख्या— १७२४ अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

*sk*  
(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी

सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

*sk*  
(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उम्प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक— 1698 / 11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ, दिनांक: जनवरी १५, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:-

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनकूट वन प्रभाग में 98.28 हे० आरक्षित वनभूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे० आरक्षित वनभूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे० आरक्षित वनभूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे० आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक—2551 / मी०क्षे० / 33, दिनांक 23.12.2020 (दिनांक 08.01.2020 को प्राप्त)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 08.01.2020 को प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन-लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

रेनकूट वन प्रभाग:-

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक—343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग—2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
- इको वलास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न नहीं है।
- प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
- प्रस्ताव में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ब्याज की गणना अद्यतन नहीं की गयी है तथा गणना भी त्रुटिपूर्ण है इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन०पी०वी० लिये जाने का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः संशोधित एन०पी०वी० की गणना संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना ऑनलाइन भाग—2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
- उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

ओबरा वन प्रभाग:-

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक—343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग—2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
- प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय

9092

33

21/1/21

Discus  
8kpi/1/21

- रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।
- उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

#### सोनभद्र वन प्रभाग:-

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
- प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
- रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु सोनभद्र वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।
- उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

#### मीरजापुर वन प्रभाग:-

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अन्य वन प्रभागों से सम्बन्धित हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कराकर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
- वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
- प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
- रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु मीरजापुर वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।
- उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
- ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में ₹० 626000 प्रति हेठो की दर से एन०पी०वी० की गणना अपलोड की गयी है, जोकि गलत है। अतः इसे डिलिट करें।

#### कैमूर वन प्रभाग:-

- प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

3. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें। तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
4. इको वलास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में हरियाली घनत्व गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
6. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर के द्वारा भाग-3 में संस्तुति नहीं की गयी है तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड भी नहीं है। अतः मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
8. रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु कैमूर वन्यजीव प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।
9. उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हौ, संलग्न नहीं है।

\*अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

*h.s.*  
(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
*h.s.* उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1698/11-सी- FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय-14/74ए-2 अन्धरापुल, वाराणसी।

E.D.S

*h.s.*  
(अनुपम गुप्ता)

प्राप्ति २९६६/पी०/३३५० ल०१७८, १५/२०२१, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
*h.s.* उ०प्र०, लखनऊ।

कैमूर ज़िला, उत्तराखण्ड, भौजागढ़ नगर काशी नगर  
जीर्ण वन्यजीव वन्यजीव वन्यजीव वन्यजीव  
कैमूर ज़िला, उत्तराखण्ड, भौजागढ़ नगर काशी नगर  
मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

*मुख्य वन संरक्षक,  
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।*